न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 30/2021 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/56

उनवान

1. गौरन्ती वेवा हरजी
2. प्रकाश
3. ववलेश — पुत्र हरजी
4. संतोष
5. गोपाल

जाति मीना निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

6. बीना पुत्री हरजी पत्नी राकेश जाति मीना निवासी विसदा तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. करन सिंह
2. हरीराम — पिस0 भौदू
3. कंचनबाई पत्नी स्व भौदू
4. गौमती पत्नी स्व0 रतीराम
5. बाबूलाल पुत्र रतीराम
6. गुड्डी पुत्री रतीराम
7. पूजा पुत्री रतीराम

जाति मीणा निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....रैस्पो0 वादीगण

8. शिवचरन
9. सियाराम
10. केशराम
11. शीशराम

पिस0 गंगासहाय जाति मीणा निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....रैस्पो0 असल प्रतिवादीगण

12. केशन्ती वेवा रामप्रसाद
13. विक्रम पुत्र रामप्रसाद
14. रोहताश पुत्र रामप्रसाद
15. कम्पूरी पत्नी चिरंजी
16. मुरारी पुत्र चिरंजी
17. कमला पुत्री स्व0 चिरंजी
18. रमेश्वरी पुत्री स्व0 चिरंजी
19. राजन्ती पुत्री हरसहाय

जाति मीणा निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

20. मन्नो — पत्नि स्व0 राम सिंह
21. बरफी
22. होतीलाल पुत्र राम सिंह
23. विष्णु कुमार पुत्र राम सिंह
24. लक्ष्मी पत्नी स्व0 मोतीलाल

जाति मीणा निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

25. जीतेश पुत्र स्व0 मोतीलाल
26. रेखा पुत्री स्व मोतीलाल
27. गुलाबचंद पुत्र प्रभू
28. सुभाष चन्द पुत्र प्रभू
29. सुरेश चन्द पुत्र प्रभू
30. मोहनलाल पुत्र रामेश्वर
31. कृष्णवती पुत्री रामेश्वर
32. कलावती पुत्री रामेश्वर
33. पारवती पुत्री रामेश्वर

जाति मीणा निवासी उहलू तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट तरतीवी प्रतिवादीगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.06.2016 प्रकरण संख्या 96/13 उनवान कंचनबाई बनाम शिवचरन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर।

अभिभाषकगण :–

1. श्री पंकज कुमार अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री पुरूषोत्तम मुदगल अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित।

निर्णय दिनांक :–21.02.2025

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/रैस्पो0 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण असल रैस्पो0 व तरतीवी प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम उहलू तहसील भुसावर में पक्षकारान संयुक्त रूप से काबिज काश्त हैं। विवादित आराजी का अभी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतः संयुक्त रूप से काश्त करने में आये दिन पक्षकारान के मध्य फसल एवं फसल में हुये खर्चे को लेकर झगडा फसाद हो जाता है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई दिनांक 13.06.2015 से प्राथमिक डिक्री करते हुये तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये गये एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर राजस्व लोक अदालत में दिनांक 24.06.2016 से अंतिम डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री पारित करते समय यह निर्देश दिये गये थे कि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो की उपस्थिति में बनावें एवं विवादित आराजी के कम से कम टुकडे किये जावें एंव यदि टुकडे किये भी जावें तो अलग–अलग रंग में प्रदर्शित

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

किये जावें। परन्तु विभाजन प्रस्तावो में अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्देशो की कोई पालना नहीं की गयी है। विभाजन प्रस्ताव भी स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार किये गये हैं। इस प्रकार प्रकरण में विभाजन के नियम 18–21 की पालना नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में पेशी दिनांक 19.12.2015 नियत थी परन्तु पत्रावली दिनांक 24.06.2016 को सीधे राजस्व लोक अदालत में बिना पक्षकारान को सूचित किये रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। विधि अनुसार विभाजन प्रस्तावो पर पक्षकारान को एतराज करने का मौका दिया जाना चाहिये। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान को एतराज करने का कोई मौका ही नहीं दिया। विभाजन प्रस्तावो में वादी को पूरे नम्बर दिये गये हैं एवं प्रतिवादियो को टुकडो में नम्बर दिये गये हैं। चूंकि अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में बिना पक्षकारन को सूचित किये पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। जैसे ही जानकारी हो पायी, जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार मानी जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011–12 पेज 698, 2012(2) पेज 1293, 2019(1) पेज 380 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में मजमे आम हुआ है। जिसकी अपील पोषणीय नहीं है। इसके अलावा आदेश सन्2016 में पारित हुआ है। जिसके विरूद्ध अपील सन् 2021 में की गयी है, जो मियाद बाहर है एवं मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। अपील में यह नहीं बताया गया है कि विभाजन प्रस्ताव किस प्रकार गलत एवं विधि अनुरूप नहीं हैं। रैस्पो0 ने खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की हैं, जो बॅटवारा अनुसार अपने–अपने नम्बरो पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। रैस्पो0 व अपीलाण्ट ने अपनी अपनी आराजी पर बोरिंग आदि लगा रखी हैं। यदि डिक्री निरस्त की जाती हैं तो सभी को अपूर्णनीय क्षति होगी। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज 164, 1989 पेज 667, 1999 पेज 309, 1990 पेज 545 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2016 के विरूद्ध हस्तगत अपील सन् 2021 में लगभग पॉच साल बाद प्रस्तुत की गयी है। अपील प्रस्तुत करने में हुयी देरी के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में बिना पक्षकारो को सूचित किये, पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो सकी। जैसे ही जानकारी हुयी, जानकारी की दिनांक से अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद प्रस्तुत की गयी है। हमने

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की अपील लगभग पॉच वर्ष के विलम्ब से पेश की गयी है। परन्तु रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट के शपथ पत्र के विरूद्ध कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील पेश करने में हुयी देरी के कारणो को सत्य माना जावेगा। इसके अलावा हम अपीलाण्ट के इस कथन से भी सहमत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश राजस्व लोक अदालत में बिना पक्षकारो को सूचित किये पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होना सद्भावी है। वैसे भी यदि अपील गुणावगुण पर पूर्णतः शून्य हो तो ही मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर अपीलाण्ट को रोका जा सकता है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुए, अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाकर, हम प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करना वांछनीय पाते हैं।

6. गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में पेशी दिनांक 07.10.2015 को अग्रिम पेशी दिनांक 19.12.2015 नियत की गयी थी। परन्तु दिनांक 19.12.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेशिका नहीं लिखी गयी एवं प्रकरण सीधे दिनांक 24.06.2016 को लगभग छः माह बाद सीधे राजस्व लोक अदालत में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई तामील शुदा नोटिस भी उपलब्ध नहीं है, जो यह साबित करता हो कि राजस्व लोक अदालत में प्रकरण रखने हेतु पक्षकारान को सूचित किया गया हो। हमने पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावो का भी अवलोकन किया गया। उक्त विभाजन प्रस्तावो पर किसी भी पक्षकार के उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं एवं विभाजन प्रस्ताव भी स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये एवं पटवारी हल्का द्वारा जरिये पत्र उन्हें तहसीलदार के लिये पृष्टाकंन किया हुआ है। इस प्रकार प्रकरण में विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना दृष्टिगोचर नहीं होती है। विधि अनुसार विभाजन के प्रस्तावो में स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करना आज्ञापक है। विभाजन के प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पक्षकारान को विभाजन प्रस्तावो पर सुनवाई/आपत्ति करने का अवसर देना अनिवार्य है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान को विभजान प्रस्ताव पर आपत्ति करने का कोई अवसर नहीं दिया जाकर, विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के रोज ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। हम अभिभाषक अपीलाण्ट की इस आपत्ति से भी सहमत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री में वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से अनुसार भूमि का क्षेत्रफल व किस्म भूमि यथा सम्भव कब्जे अनुसार एक स्थान पर परन्तु ऐसे भूमि खण्ड जो किसी सहखातेदार के पृथक कब्जे में हो यथा सम्भव उसी सहखातेदार को दिये जावें, वशर्ते उसके हिस्से से अधिक ना हो। यदि किसी खेत का उपविभाजन किया गया हो तो प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भुखण्ड अलग-अलग रंगों में दिखाये जाने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु विभाजन प्रस्तावो में उक्त निर्देशो की कोई पालना नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2016 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार स्वयं पक्षकारो की उपस्थिति में मौके पर जाकर विवादित आराजी में अच्छी से अच्छी व बुरी में से बुरी के विभाजन प्रस्ताव तैयार करें एवं अधीनस्थ न्यायालय उक्त विभाजन प्रस्तावो पर उभयपक्ष को सुनवाई/आपत्ति का अवसर देते हुये, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर